बाल अधिकार

वे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से कम हैं
उन्हें बच्चों की श्रेणी में रखा गया है।
– यूएनसीआरसी

बच्चों की उम्र सीखने की है नाकि कमाई करने की।

बच्चों को खेलने के लिए रेत के महल बनाने चाहियें
बाल मजदूरी करके ईंटें नहीं।

शिक्षा का अधिकार

पोषण का अधिकार

जीवन जीने का अधिकार

अभिव्यक्ति एवं विचार व्यक्त करने का अधिकार

चाइल्ड लाइन 1098

बच्चों के लिए 1098, राष्ट्रीय, 24 घंटे, निशुल्क, आपातकालीन फोन हेल्पलाइन सुविधा है। इस नंबर पर कॉल करने से जरूरतमंद बच्चो की मदद की जा सकती है एवं उन्हें दीर्घकालिक पुनर्वास की सहायता मिलती है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित बच्चों के मूल अधिकार

- जीने का अधिकार/अस्तित्व
- परिवार के साथ रहने का अधिकार (यदि संभव हो)
- अभिव्यक्ति एवं विचार व्यक्त करने का अधिकार
- सूचना का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- विशेष देखभाल का अधिकार, (यदि आवश्यक हो)
- नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार
- स्वास्थ्य देखभाल और पोषण का अधिकार
- क्रूर सजा और शोषण से सुरक्षित होने का अधिकार
- मनोरंजन और विकास का अधिकार
- संस्कृति, धर्म और भाषा का अधिकार

सम्पूर्ण विश्व में
प्रत्येक बच्चे
को अपने
विशेष अधिकार
प्राप्त हैं।

आज प्रत्येक 4 में से 1 बच्चा बाल मजदूरी में लिप्त है।

By: CEC — Building a Wider Horizon with Labour

In Partnership with: प्रयास Prayas; terre des hommes — Help for Children in Need

Funded By: European Union

Centre for Education and Communication (CEC)
173 A, Khirki Village, Malviya Nagar, New Delhi 110 017
T: 91 11 29541841 / 29541858 | F: 91 11 29542464
E: cec@cec-india.org; W: www.cec-india.org

May 2018

Conceived and prepared by: The Information and Feature Trust (TIFT), Lakshmi (Kayyadam), Thondayad, Calicut – 17.

Visual presentation: Amit Tiwari, Retro Volition Inc., New Delhi | amit@retrovolition.com

This poster is part of a project, 'Empowering CSOs for Decent Work and Green Bricks in India's Brick Kilns', in partnership with Prayas and Terre des Hommes (TdH), funded by European Union (EU).